UPKS010048972022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/अनु.जनजाति (अ.नि.) अधिनियम, कौशाम्बी।

अंतिम आख्या संख्या–01/2022

पंचकली **बनाम** **रोहित तिवारी आदि।**
थाना–पिपरी,
जनपद–कौशाम्बी।

10.05.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादिनी सुमन देवी के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिरोध याचिका पर सुना तथा पत्रावली का संपूर्ण अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपराध संख्या–234/2022, धारा– 147, 149, 323, 394 भा0दं0सं0 व धारा–3(2)5ए एवं 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी के विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांकित 13.09.2022 प्रस्तुत करके यह याचना की गयी है कि अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर कार्यवाही समाप्त की जाये।

तदोपरांत प्रकरण की वादिनी मुकदमा को नोटिस प्रेषित की गयी। वादिनी मुकदमा पर नोटिस तामील हुई और वह न्यायालय उपस्थित आयी। उसने विरोध प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करके अंतिम रिपोर्ट निरस्त करने की याचना इस कथन के आधार पर प्रस्तुत किया कि वादिनी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना थाना पिपरी की पुलिस द्वारा संपादित की गयी। मुकदमा उपरोक्त के विवेचक द्वारा विवेचना शुरू करने के बाद विवेचनाधिकारी अभियुक्तगण से मिल गये हैं और धनबल के प्रभाव में आकर विवेचनाधिकारी द्वारा सही ढंग से विवेचना नहीं की गयी है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनाधिकारी द्वारा न तो प्रार्थिनी और न ही चोटहिल रेनू व किसी अन्य गवाह का घटना के संबंध में पूछताछ नहीं किया गया और न ही घटनास्थल का निरीक्षण किया अपने मन से अभियुक्तगणों को बचाने की गरज से मनमाने तरीके से 161 द0प्र0सं0 के बयान अंकित करते हुए अभियुक्तगण से मिलकर उपरोक्त मुकदमा में अंतिम आख्या प्रेषित कर दिया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना सही तरीके से नहीं की गयी और बिना वादिनी व चोटहिल रेनू व अन्य गवाहों से पूछताछ व बयान लिये बगैर मनमाने ढंग से वादिनी तथा गवाहों के बयान लिखकर गलत तथ्यों के आधार पर अंतिम आख्या लगा दी गयी है, जिसे न्यायहित में निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को तलब कर दंडित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर अपराध संख्या–234/2022, धारा– 147, 149, 323, 394 भा0दं0सं0 व धारा–3(2)5ए एवं 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी विरूद्ध अभियुक्तगण रोहित तिवारी एवं नौ नफर पंजीकृत किया गया तथा

विवेचना कर विवेचक द्वारा किसी अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला न पाते हुए अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। केस डायरी के पर्चा नं–4 के परिशीलन से पाया जाता है कि प्रकरण के मुकदमा वादिनी पंचकली ने धारा–161 दं0प्र0स0 के अधीन दिनांक 21.07.2022 को प्रकरण के विवेचक को दिये गये बयान में घटना की प्राथमिकी में अंकित कथन का पूर्णतया समर्थन किया है तथा प्रकरण की मजरूबा रेनू ने भी अपने बयान में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। विवेचक द्वारा निर्मित नक्शा नजरी में प्राथमिकी में उल्लिखित घटनास्थल पर घटना घटित होना प्रकट किया गया है। मूल पत्रावली पर मजरूबगण पंचकली एवं रेनू की चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावलित की गयी है, जिसमें मजरूबगण को क्रमशः छः व पांच चोटे आने का उल्लेख किया गया है तथा समस्त चोटे किसी सख्त कुंदालय के प्रहार से आने का वर्णन है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर स्वतंत्र साक्षियों के बयान अंकित कर दूषित विवेचना करते हुए प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है। चूंकि प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा विवेचक द्वारा दाखिल अन्तिम आख्या से संतुष्ट नहीं है और मामले में विवेचना त्रुटिपूर्ण है, इसलिए मामले में अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायोचित है। वादिनी मुकदमा द्वारा अन्तिम आख्या के विरूद्ध आपत्ति के दृष्टिगत न्यायहित में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अन्तिम आख्या निरस्त की जाकर मामले में अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिनी मुकदमा पंचकली द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

एफ.आर. वाद संख्या 28/2022 पंचकली बनाम रोहित तिवारी आदि में संलग्न अंतिम रिपोर्ट संख्या–01/2022, थाना पिपरी, जनपद–कौशाम्बी निरस्त की जाती है।

थानाध्यक्ष पिपरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आदेश में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दिये गये उपबंधों के अधीन अग्रिम विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करायें।

(संजय मिश्र)
विशेष न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम
कौशाम्बी।
J.O.Code. : UP 6257

Digitally signed by Sanjay Mishra
Date: 2023.05.24 11:18:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court